

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1.

लखनऊ : दिनांक 06 अगस्त, 2021

विषय:- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत घरणबद्ध रूप से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुये हर घर तक Functional Household Tap Connection (FHTC) दिया जाना है। इस हेतु शासनादेश संख्या 16/2021/948/छिहतर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 19.03.2021 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मण्डलवार/ जनपदवार कार्यदायी संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट करते हुये राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सूची पूर्व में समस्त जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है। इन संस्थाओं की जनपदवार सूची jalshaktiup.org पोर्टल पर भी उपलब्ध है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उपलब्ध करायी गई ग्रामों की सूची के आधार पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विस्तृत प्राक्कलन विरचित किये जा रहे हैं, जिसका विवरण jalshaktiup.org पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन प्राक्कलनों का परीक्षण करते हुये नियमानुसार स्वीकृति/संस्तुति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदान कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जाना है।

2- प्रस्तुत डी.पी.आर. के परीक्षण हेतु jalshaktiup.org पोर्टल पर Check Point निर्धारित किये गये हैं, जिनके अनुरूप होने पर ही डी.पी.आर. jalshaktiup.org पोर्टल पर अपलोड की जा सकती है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजनाओं के परीक्षण एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाए:-

1. भारत सरकार द्वारा जारी जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति घर को औसतन 5 व्यक्ति का मानते हुये प्रति FHTC लागत का विवरण दिया गया है। दिशा-निर्देशों के अनुसार जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा एवं गुणता का भूजल उपलब्ध है, उन क्षेत्रों के लिये एकल ग्राम पेयजल योजना के लिये प्रति FHTC लागत रु 15,000.00, ऐसे क्षेत्र जहाँ शोधन की आवश्यकता है या पहाड़ी क्षेत्र हेतु प्रति FHTC लागत रु 25,000.00, बहुल ग्राम योजना के लिये प्रति FHTC लागत रु 47,000.00 तथा ऐसे पृथक क्षेत्र, जिनकी आबादी बहुत कम है या जनजातीय वस्तियाँ, जहाँ पर मिनी सोलर आधारित पाइप पेयजल योजनाएँ विरचित की जानी हैं, के लिये प्रति FHTC रु 7,00,000.00 निर्धारित है। उक्त के दृष्टिगत योजनाओं का परीक्षण कराया जाये। परन्तु यदि किसी योजना विशेष में प्रति FHTC लागत अधिक आती है तो उसका परीक्षण जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के स्तर से करते हुये कारणों सहित स्वीकृति/संस्तुति की जाये। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के आंकलन के अनुसार योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत डिजाइन वर्ष के लिये जनपद का औसत रूपसे 6,000.00 से कम होने की स्थिति सामान्यतः स्वीकार्य होनी चाहिए। परन्तु यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किसी योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रु 7,000.00 से अधिक आती है, भले ही जनपद की औसत लागत रु 6,000.00 प्रति व्यक्ति से कम हो, तो इसका परीक्षण जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा करते हुये कारणों का स्पष्ट उल्लेख प्रतिवेदन में किया जाये। इसी प्रकार जनपद की परिस्थितियों के अनुसार जनपद की औसत लागत रु 6,000.00 से ज्यादा होने की दशा में भी सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानीय निरीक्षण व जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा परीक्षण करने व कारणों का स्पष्ट उल्लेख करने के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

2. पम्पिंग प्लान्ट की डिजाइन में हॅड अधिकतम 50 मीटर होना चाहिये। विशेष परिस्थितियों में हॅड 50 मीटर से अधिक होने पर इसका परीक्षण अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक द्वारा करते हुये प्रतिवेदन कित किया जाये।
3. सोलर पी.वी. माड्यूल की क्षमता (किलोवाट), पम्प की क्षमता (हार्स पावर) से अधिकतम 1.4 गुना होनी चाहिये।
4. रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण करते हुये पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि इस कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गई है।
5. योजना की डिजाइन, जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की जायेगी, परन्तु आधार वर्ष से अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी।
6. प्रति घर व्यक्तियों की संख्या आधार वर्ष की जनसंख्या के अनुसार 4 से 8 के बीच होनी चाहिये।
7. वितरण प्रणाली में सैण्ड बेडिंग नहीं देय होगी।
8. जलकल परिसर में मिट्टी भराई अनुमन्य नहीं होगी। जलकल परिसर के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने एवं मिट्टी भराव अपरिहार्य होने की स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की जाये एवं जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्पष्ट संस्तुति करते हुये डी.पी.आर. प्रस्तुत की जाएगी।
9. कार्य स्थल तक सम्पर्क मार्ग हेतु डी.ओ.ई. का डी.पी.आर. में प्राविधान किया जाये।
10. स्पेयर पम्पस् हेतु प्राविधान अनुमन्य नहीं होगा।
11. योजनाओं का विरचन यथासंभव ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए किया जाये। विशेष परिस्थितियां जैसे - भूमि की उपलब्धता न होना एवं उपयुक्त गुणवत्ता एवं मात्रा में भूजल का उपलब्ध न होना अथवा प्रति व्यक्ति लागत अधिक आने की स्थिति में बहुल पंचायत योजना का भी विरचन किया जा सकता है। यथासंभव ग्रामों का चयन क्लस्टर में किया जाए ताकि कार्य की प्रति व्यक्ति लागत न्यूनतम रह सके।
12. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 16/2021/948/छिहतर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 19-03-2021 तथा शासनादेश संख्या- 36/2021/1599/छिहतर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 08-07-2021 के द्वारा रु 5.00 करोड़ की लागत तक की योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का अधिकार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रदान किये जाने के फलस्वरूप इस सीमा तक योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति उत्तर प्रदेश जल निगम के सक्षम स्तर द्वारा प्रदान की जायेगी।
13. परियोजना की कार्य लागत में जी.एस.टी., कन्टीजेन्सी एवं विद्युत संयोजन (विद्युत आधारित योजनाओं में) की लागत को शामिल किया जाये।
14. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाये।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 51/2021/1883(1)/छिहतर-1-2021-25 सम/2019 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. सम्स्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबंध निदेशक, उ0प0 जल निगम लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)

उप सचिव